

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

जमानत आदेश

-पश्चात-

09.04.2026

1- प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन जमुई थाना कांड संख्या-484/2025 में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा-8/20(b)(ii)(C)/25/29 एवं धारा 25(1-B)a/26(i)/35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्तगण **1. सोनू कुमार** पिता-लखीचन्द्र पासवान उम्र 21 वर्ष साकिन-रघुनाथपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर एवं **2. मो0 हुसैन** पे0 मो0 असलम उम्र 23 वर्ष साकिन-मोहीउद्दीनपुर, थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर (बिहार) की ओर से नियमित जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 30.08.2025 से काराधीन है।

2- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2025 को समय 10:00 बजे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गुप्त सूचना मिली कि ऋषभ सिंह पे0 राजबली सिंह साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई अपने घर के आवासीय परिसर से अवैध रूप से गांजा का कारोबार करते हैं और आज एक वाहन से बाहर से भारी मात्रा में गांजा लाकर अपने घर पर रखने वाले हैं। इस संबंध में सनहा अंकित किया। गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय ज्ञापांक 4744/गो0 दिनांक 29.08.2025 प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। समय करीब 10:15 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर जमुई एवं जिला असूचना ईकाई की टीम के साथ सूचक, सशस्त्र बल के रिजर्व गार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर डिजिटल तराजू, अनुसंधान किट सामाग्री के साथ थाना से करीब 10:40 बजे सरकारी वाहन से प्रस्थान किया, समय करीब 11:05 बजे ऋषभ सिंह के घर के पास पहुँचा तो देखा कि उजले रंग के KWID कार से तीन व्यक्ति पैकेट निकालकर घर में रख रहे हैं जो पुलिस को देखकर तीनों व्यक्ति भागने लगे, पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साहयोग से तीनों व्यक्ति को पकड़ लिया तीनों का नाम, पता पूछने पर नीतीश कुमार पे0 राजबली सिंह, साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीचन्द्र पासवान साकिन रघुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर एवं मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बताया। तीनों पकड़ाये व्यक्ति से गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि गांजा का खेप लेकर आये थे जिसे ऋषभ सिंह के घर पर उतार कर रख रहे थे। पकड़ाये नीतीश से पूछने पर बताया कि ऋषभ सिंह इनका छोटा भाई है। जो अभी घर से बाहर खड़ा था, आप लोगों को देखकर गाँव की ओर भागा है। पूछने पर नीतीश ने बताया कि अपने भाई, पिता एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा का व्यापार करते हैं। नीतीश सिंह को एन0डी0पी0एस0 की धारा 50 के अन्तर्गत पकड़ाये व्यक्ति एवं उसके घर की घेराबंदी तथा तलाशी के संबंध में उपबंधों की विस्तृत जानकारी के साथ एक नोटिस दिया एवं पूछा तो बताया कि आवासीय परिसर का तलाशी किसी राजपत्रित पदाधिकारी/दण्डाधिकारी से करवाना चाहते हैं। उनके सहमति से ललिता कुमारी अंचलाधिकारी सदर जमुई एवं पुलिस पदाधिकारी समय 11:50 बजे, दण्डाधिकारी की उपस्थिति में उपस्थित नीतीश सिंह पे0 राजबली साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई एवं ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तलाशी हेतु स्थानीय साक्षी की खोज की गई, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी सूचना दी गई लेकिन ऋषभ सिंह के डर से कोई नहीं आये तो अपने साथ के पुलिस पदाधिकारी एवं छापामारी दल एवं स्वयं की तलाशी देते हुये पकड़ाये तीनों व्यक्ति के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तलाशी दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विडियोग्राफी करते हुये प्रारंभ की गई, सर्वप्रथम नीतीश सिंह के बदन की तलाशी ली गई तो उसके पास एक काला रंग का नोकिया का की-पैड मोबाईल जिसमें 8084150765 सिम लगा, एक एप्पल कम्पनी का मोबाईल बिना सिम का एवं मो0 हुसैन के पास से विवो कम्पनी का स्क्रीन टच मोबाईल जिसका IMEI no. 861433065316912, 861433065316904 बरामद हुआ। बरामद मोबाईल एवं कार जिसका रजि0 नं0 BR01JF 8785 है, सबका विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्ती सूची की एक-एक प्रति पकड़ाये व्यक्तियों को दिया गया, प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर बनाया।

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

-लगातार-

09.04.2026

तत्पश्चात् तीनों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर में प्रवेश के दक्षिण दरवाजेके बगल में जमीन के अंदर बने तहखाना से भारी मात्र में गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ, मिला जिसे निकालने पर 22 (बाईस) बोरा एवं 20 (बीस) पैकेट बरामद हुआ। नीतीश सिंह से पूछने पर बताया कि सभी बोरा एवं पैकेट में गांजा है। सूंघने पर गांजा जैसी गंध आ रही थी। बरामद सभी बोरा एवं पैकेट को लेवलिंग कर बारी-बारी से डिजिटल तराजू से वजन करने पर बरामद सभी बाईस बोरा सहित कुल वजन 351.650 किलोग्राम (तीन सौ इक्यावन किलो छह सौ पचास ग्राम) एवं बरामद पैकेट से कुल 60 (साठ) किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। सभी बरामद गांजा जैसा पदार्थ को अलग-अलग सील बंद किया गया। सभी बोरा एवं पैकेट मिलाकर कुल 411.650 किलोग्राम (चार क्विंटल ग्यारह किलो छह सौ पचास ग्राम) बरामद हुआ। सभी सील बंद पैकेट पर उपस्थित दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, साक्षी एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया एवं जप्ती सूची की एक-एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर बनाया।

नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया कि लम्बे समय से उसके भाई ऋषभ सिंह एवं पिता के साथ गांजा का कारोबार कर रहे हैं, जिससे काफी मात्रा से अवैध कमाई भी किये है। गांजा के व्यापार से प्राप्त पैसा घर के दक्षिण-पूरब कमरा में लकड़ी के सन्दूक में रखा है। सन्दूक का विधिवत् तलाशी लेने पर कुल 70,77,105/- (सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पाँच रुपये) बरामद हुआ। सभी बरामद रुपये को शील बंद कर मार्क लगाया गया तथा सभी उपस्थित दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, साक्षी एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया गया एवं जप्ती सूची की एक-एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को हस्तगत कराया गया। उनके घर के पश्चिम कमरा का विधिवत् तलाशी लेने पर कमरा के छजी पर एक झोला में छुपाकर रखा दो देशी कट्टा एवं .315 बोर का दस जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा बरामद हुआ सभी कारतूस मे पेंदी पर 8 एम0एम0 के0एफ लिखा हुआ बरामद हुआ। बरामद कट्टा एवं गोली को उजले रंग के प्लास्टिक के झोला में विधिवत् सील बंद किया गया। बरामद सभी सामानों को विधिवत् दण्डाधिकारी की उपस्थिति में जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया जिस पर दण्डाधिकारी सहित दोनों गवाहों ने अपना हस्ताक्षर किया, जप्ती सूची की एक-एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर लिया। वहीं घर के बाहर चार मोटरसाईकिल लगी हुई थी, चारो मोटरसाईकिल के संबंध में पूछने पर नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि सभी मोटर साईकिल पकड़ाये व्यक्तियों की है, इस मोटरसाईकिल से गांजा को स्थानीय स्तर पर लाने एवं पहुँचाने में उपयोग करते है। रॉयल एन फिल्ड BR53H-2503, यमाहा FZS जिसका रजि0नं0 BR01HK-5512, होंडा एक्टिवा स्कूटी 125 जिसका रजि0 नं0 BR01FW1292 एवं बजाज सी0टी0 100 रजि0 नं0 अंकित नहीं चेचिस नं. MD2A18AY3hPL05395 अंकित है, बरामद सभी चारो मोटर साईकिल का विधिवत् दण्डाधिकारी की उपस्थिति में जप्ती सूची बनाकर जप्त किया तथा दोनों गवाहों ने प्राप्ति स्वरूप अपना हस्ताक्षर बनाया। इस प्रकार आवासीय परिसर में अवैध गांजा रखने, परिवहन करने व्यापार करने एवं अवैध गोली पिस्तौल रखने के आरोप में ऋषभ सिंह, नीतीश कुमार दोनों पे0 राजबली सिंह एवं राजबली सिंह पे0 स्व0 चन्द्रदेव सिंह तीनों साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीन्द्र पासवान साकिन रधुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर, मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर एवं अन्य अज्ञात सहयोगियों को आरोपित करते हुये नीतीश कुमार पे0 राजबली सिंह साकिन चन्दवारा थाना व जिला जमुई, सोनू कुमार पे0 लखीन्द्र पासवान साकिन रधुनाथपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर, मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम साकिन मोहीउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर को विधिवत् गिरफ्तारी मेमो बनाकर गिरफ्तार किया।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन किए कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.08.2025 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

-लगातार-

09.04.2026

आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत सत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है।

आवेदकगण के विरुद्ध इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है। इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई वाद आवेदकगण के विरुद्ध लंबित नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण को बिना कारण के इस वाद में फंसाया गया है। आवेदकगण के सचेतन कब्जे से गांजा जैसा पदार्थ, तीन कट्टा, 10 जिन्दा कारतूस बरामद नहीं किया गया है और न ही जब्ती सूची में शामिल उक्त वस्तुओं से आवेदकगण का कोई लेना देना है। इस प्रकार एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के किसी भी अपराध का कोई मामला नहीं बनता है और आवेदकगण के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)a तथा 35 भी लागू नहीं होता है। वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक मो0 हुसैन जो जब्त विवड कार के मालिक हैं अपने मित्र आवेदक सोनू कुमार के साथ किसी काम से उक्त कार से गिरिडीह जा रहे थे और जब वे सिकंदरा जमुई रोड पर चंदवारा गांव के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उक्त कार को उसमें रखे सभी कागजात के साथ जब्त कर लिया गया। कथित घटना में आवेदकगण की किसी भी तरह की संलिप्तता दर्शाने के लिए उनके विरुद्ध कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण का इस मामले के कथित अपराधों से कोई लेना देना नहीं था और न ही है। आवेदकगण न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है तथा आवेदकगण द्वारा जमानत का कभी कोई दुरुपयोग नहीं होगा। अतः आवेदकगण को नियमित जमानत पर मुक्त करने का अनुरोध करते हैं।

4- विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया एवं जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन करते हैं।

5- उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी एन0डी0पी0एस0 एक्ट की 08, 20(b)(ii)(C), 25, 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)a, 26(i), 35 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

उक्त वाद में जब्ती का स्थान साकिन चन्दवारा स्थित अभियुक्त का घर थाना जमुई जिला जमुई से 18 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम। जब्त वस्तुएं 411.650 किलोग्राम (चार किंवटल ग्यारह किलो छः सौ पचास ग्राम गांजा, दो देशी कट्टा एवं .315 वोर का दस जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा तथा घर के दक्षिण पूरब कमरा में रखे लकड़ी के एक सन्दूक से कई झोला में रखा 70,77,105/- (सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पांच रूपये), विवड कार जिसका नंबर बी0आर001जे0एफ08745, रॉयल इनफिल्ड मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बी0आर053एच0-2503, यमहा एफ0जेड0एस0 जिसका रजि0 नंबर बी0आर001एच0 एफ061292, बजाज सी0टी0 100 रजि0 नंबर अंकित नहीं, चेचिस नंबर एम0डी0जेड0 ए0 18ए0 वाई003एच0पी0एल005395 है।

यह वाद विचारण एवं सुनवाई हेतु माननीय प्रधान जिला जज के न्यायालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 24.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 4744/गो0 दिनांक 29.08.2025 के आलोक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जमुई के नेतृत्व में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया तथा करीब 10-15 बजे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला असूचना इकाई की टीम के साथ सूचक शेखर सौरभ थाना रिजर्व गार्ड के सशस्त्र बल के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, डिजिटल तराजू एवं अनुसंधान किट के साथ 10:40 बजे सरकारी वाहन से प्रस्थान किया तथा करीब 11:05 बजे ऋषभ सिंह पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा थाना+जिला-जमुई के घर के पास पहुँचे तो देखा कि उजले रंग के विवड कार से तीन व्यक्ति पैकेट निकाल कर घर में रख रहे हैं जो पुलिस को देखकर

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

—लगातार—

09.04.2026

तीनों व्यक्ति भागने लगा। जिसे साथ के पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से पकड़ा गया एवं तीनों व्यक्तियों से नाम, पता पूछा गया तो अपना नाम 1. नीतिश कुमार उम्र 25 वर्ष पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा, थाना+जिला-जमुई, 02 सोनू कुमार उम्र 21 वर्ष, पे0 लखेन्द्र पासवान सा0 रघुनाथपुर, थाना समरा जिला मुजफ्फरपुर, 03 मो0 हुसैन उम्र करीब 23 वर्ष पे0 मो0 असलम सा0 मोहीउद्दीनपुर, थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर बताये। तीनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि हम लोग इसी कार से गांजा का खेप लेकर आये थे। जिसे ऋषभ सिंह के घर पर उतार कर रख रहे थे। पूछने पर नीतिश कुमार सिंह ने बताया कि ऋषभ सिंह उनका छोटा भाई है जो अभी घर के बाहर ही खड़ा था आप लोगों को आते देख गांव की ओर भागा है। पूछने पर नीतिश सिंह ने बताया कि ये अपने भाई, पिता एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गांजा का व्यापार करते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के इच्छा व्यक्त करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी जमुई के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी ललिता कुमारी अंचालधिकारी सदर जमुई की उपस्थिति में नीतिश सिंह पे0 राजबली सिंह सा0 चन्दवारा थाना व जिला जमुई एवं ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की तालासी लेने हेतु स्वतन्त्र साक्षी का खोज किया गया। आस-पास के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, परन्तु ऋषभ सिंह के डर एवं भय से कोई भी स्थानीय ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् अपने साथ के पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 अखिलेश कुमार एवं परि0 पु0अ0 नि0 निकेश कुमार के समक्ष अपनी एवं अपने छापामारी दल के सभी सदस्यों का बारी बारी से विधिवत् तालाशी दिया तो पहने कपड़े और अनुसंधान किट के अलावा कुछ नहीं मिला। तत्पश्चात् पकड़ाये तीनों व्यक्तियों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के आवासीय परिसर की विडियोग्राफी कराते हुए पकड़ाये व्यक्तियों एवं उक्त आवास का तालाशी प्रारम्भ किया गया तो नीतिश सिंह के पास से नोकिया की-पैड मोबाईल 8084150765 सिम लगा हुआ एवं एक एप्पल कंपनी का मोबाईल बिना सिम का एवं मो0 हुसैन के पास से विवो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाईल जिसका आई0ई0एम0आई नंबर 861433065318912 861433065316904 बरामद हुआ। बरामद मोबाईल एवं क्विड कार का जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। जिसकी एक-एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया तथा प्राप्ति हस्ताक्षर लिया गया।

तत्पश्चात् इन तीनों के निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर के प्रवेश के दक्षिण दरवाजे के बगल में जमीन के अन्दर बने तहखाने से भारी मात्रा में गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ मिला। जिसे निकालने पर 22 बोरा एवं 20 पैकेट बरामद हुआ। नीतिश सिंह द्वारा बताया गया कि इस सब बोरा एवं पैकेट में गांजा है। बोरा को सूंघने पर गांजा जैसा गंध आ रहा था। बरामदगी बोरा एवं पैकेट को लेबलिंग कर बारी-बारी से डिजिटल तराजू पर वजन करने से कुल वजन 411.650 (चार क्विंटल ग्यारह किलो छः सौ पचास) ग्राम हुआ जिसका विवरण जब्ती सूची में अंकित है तथा उनके कमरा का तालाशी लेने पर कमरा के छज्जी पर एक झोला में छुपा कर रखा दो देशी कट्टा एवं .315 बोर का 10 जिन्दा कारतूस एवं तीन खोरखा, सभी कारतूस के पेदी पर 8 एम0एम0के0एफ0 लिखा हुआ बरामद हुआ। कट्टा एवं गोली उजले रंग के प्लास्टिक झोला में रखकर झोला बन्द किया गया। जब्ती सूची पर दण्डाधिकारी सहित दोनों गवाहों ने अपना हस्ताक्षर किया। जब्ती सूची का एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को दिया गया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर लिया।

नीतिश कुमार के द्वारा यह भी बताया गया कि लंबे समय से अपने भाई ऋषभ सिंह एवं पिता के साथ गांजा का कारोबार कर रहे हैं। जिससे काफी मात्रा में अवैध कमाई भी किये हैं। गांजा के व्यापार से प्राप्त पैसा घर के दक्षिण पूरब कमरा में लकड़ी के सन्दूक में रखा है। सन्दूक का तालाशी लेने पर कई झोलों में रखा काफी संख्या में रूपया बरामद हुआ। कुल 70,77,105/- (सत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ पाँच) रूपया बरामद हुआ। जिसका विवरण जब्ती सूची में है। बरामद सभी पैकेट के जे0-01 से जे0-04 तक एक प्लास्टिक के बोरा में रख कर सील किया गया तथा जब्ती सूची एवं जब्त प्रदर्श पर सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित दण्डाधिकारियों एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

—लगातार—

09.04.2026

कराया गया एवं पकड़ाये तीनों व्यक्तियों को जब्ती सूची का एक-एक प्रति दिया गया एवं प्राप्ति हस्ताक्षर कराया गया। वही घर के बाहर चार मोटर साईकिल लगी हुई थी। इस सम्बन्ध में पूछने पर नितीश कुमार ने बताया कि सभी मोटर साईकिल इन लोगों का ही हैं। इस मोटरसाईकिल से गांजा को स्थानीय स्तर पर लाने एवं पहुँचाने में उपयोग करते हैं बरामद सभी चारों मोटरसाईकिलों का जब्ती सूची बनाकर व्यक्तियों का हस्ताक्षर कराया गया। अभियुक्तों को हस्तगत कराकर प्रति का हस्ताक्षर कराया गया। जब्ती सूची अभिलेख पर है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्ती सूची पर आवेदकगण का हस्ताक्षर है तथा जब्ती सूची का एक एक प्रति आवेदकगण को प्राप्त कराया गया है। जब्ती का कार्यवाही घटनास्थल पर मजिस्ट्रेट के सामने किया गया तथा जब्ती एवं जब्ती सूची की कार्यवाही के समय विडियोग्राफी किया गया है जिसका उल्लेख प्राथमिकी में भी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक सोनू कुमार पे0 लखीन्दर पासवान, ग्राम रघुनाथपुर, थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं तथा आवेदक मो0 हुसैन पे0 मो0 असलम ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना ताजपुर जिला समस्तिपुर के निवासी हैं। उक्त दोनों आवेदकगण घटनास्थल पर अपनी तर्कपूर्ण उपस्थिति साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिलेख अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि पुलिस बल को देखकर आवेदकगण भागने लगे तब पुलिस बल एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा घेरा बन्दी कर खदेड़कर अभियुक्तगण को पकड़ा गया।

अन्य सहअभियुक्तों के साथ आवेदकगण के विरुद्ध भी आरोप पत्र संख्या 102/26 दिनांक 22.02.2026 को धारा 8, 20(b)(ii)(c), 25, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट तथा धारा 25(1-B)a, 26(i)35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। जबकि इस वाद में आवेदकगण दिनांक 30.08.25 से कारा में संसीमित है तथा आवेदन के कंडिका 03 में आवेदकगण द्वारा कथन किया गया है कि इस वाद के अतिरिक्त इनका अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा आवेदकगण कोई अवैध कार्य नहीं किये हैं। पुलिस द्वारा आवेदकगण के मौलिक अधिकारों का बर्बरता पूर्वक हनन किया गया है। पुलिस/अनुसंधानकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया गिरफ्तारी विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण की गिरफ्तारी अवैध है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश साह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 2195/2025 में दिनांक 06.11.2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के तथ्यों के तरफ इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसके अनुसार, i) The constitutional mandate of informing the arrestee the grounds of arrest is mandatory in all offences under all statutes including offences under IPC 1860(now BNS 2023); (ii) The grounds of arrest must be communicated in writing to the arrestee in the language he/she understands; (iii) In case(s) where, the arresting officer/person is unable to communicate the grounds of arrest in writing on or soon after arrest, it be so done orally. The said grounds be communicated in writing within a reasonable time and in any case at least two hours prior to production of the arrestee for remand proceedings before the magistrate. (iv) In case non-compliance of the above, the arrest and subsequent remand would be rendered illegal and the person will be at liberty to be set free.

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदकगण को गिरफ्तार करने के बाद तथा रिमाण्ड करने के पहले गिरफ्तारी का आधार लिखित में आवेदकगण को सूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण की गिरफ्तारी अवैध है। अतः आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

—लगातार—

09.04.2026

अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदकगण एवं सहअभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र संख्या 102/26 दिनांक -22.02.2026 को दाखिल करने के बाद अभियोजन द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 24.03.2026 को एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि प्रासंगिक काण्ड में अग्रिम पूरक अनुसंधान जारी रखने हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है। अभियोजन को उक्त आवेदन पर सुनने के बाद ज्ञात हुआ कि कुछ अति महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे जब्त गांजा को अभियुक्तों द्वारा कहाँ से लाया गया एवं कहाँ सप्लाई करना था। प्रासंगिक काण्ड में जब्त देसी कट्टा एवं कारतूस कहाँ से लाया गया था एवं किस प्रयोजन से लाया गया था। जब्त मोबाईलों का सी0डी0आर0/एस0डी0आर0 जब्त गाड़ियों का सत्यापन आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुसंधान नहीं हुआ है। इस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के आवेदन दिनांक 24.03.26 को स्वीकृत करते हुये न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2026 के आदेश से अग्रिम पूरक अनुसंधान करके पूरक आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार इस वाद में कुछ अतिमहत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बिन्दुओं पूरक एवं अग्रिम अनुसंधान जारी है तथा पुलिस द्वारा इस वाद में दाखिल आरोप पत्र के साथ वाद दैनिकी संख्या 01 से 22 तक कंडिका 01 से 143 तक पृष्ठ संख्या 01 से 58 तक का मूल प्रति, आर्म्स जाँच प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या 59) का मूल प्रति अभियोजन स्वीकृति आदेश की मूल प्रति (पृष्ठ संख्या 60) गांजा जाँच रिपोर्ट की मूल प्रति (पृष्ठ संख्या 61 एवं 62) तथा आरोप पत्र संख्या 102/26 दिनांक 22.02.26 का मूल सम्बन्धित कागजातों के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्राप्त कराया जा चुका है तथा इस न्यायालय में मूल एफ0एस0एल0 जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.26 को प्राप्त कराया गया है। उक्त एफ0एस0एल0 रिपोर्ट को न्यायालय में दिनांक 02.04.2026 को खोला गया जिसमें जब्त पदार्थ गांजा (THC) कहा गया है। इस वाद में जब्त गांजा की मात्रा 411.650 किलोग्राम है जो व्यवसायिक मात्रा है।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 के अनुसार :-

1. इस अधिनियम की धाराएं संज्ञेय एवं अजमानतीय हैं तथा द0प्र0स0 1973(1974 का 02) में किसी बात के होते हुये भी-

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(ख) (धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा में सम्बन्धित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध) के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी मुक्त किया जायेगा जब-

(i) लोक अभियोजन को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किये गये आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है।

(ii) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहाँ न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के सम्बन्ध में परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 02) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

इस वाद में अभी कुछ अतिसंवेदनशील बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है तथा आवेदक अभियुक्तों के जमानत पर मुक्त होने से साक्ष्यों एवं तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने तथा सबूतों को मिटाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी वाद का एक सहअभियुक्त ऋषभ सिंह जो आवेदक नितिश सिंह का भाई है जो इस कांड में भागने में सफल रहा था। इसी प्रकृति का एक अन्य मामला वजीतपुर थाना कांड संख्या-89/25, अन्तर्गत धारा-20(b)(ii)(c), 22, 27ए, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में दरभंगा में गिरफ्तार हो गया है और उसे मण्डल कारा दरभंगा से इस

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

NDPS केस नंबर-03/2026

{जमुई थाना कांड संख्या-484/25 उत्पन्न}

उपस्थित- कमला प्रसाद,

अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राज्य सरकार बनाम सोनू कुमार एवं मो0 हुसैन

—लगातार—

09.04.2026

वाद में दिनांक 16.01.26 को रिमांड किया गया है। इस वाद दैनिकी में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के केस का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अभियुक्तों के इस वाद में गहन संलिप्तता के प्रथम दृष्टया तथ्य एवं साक्ष्य अभिलेख पर उपस्थित है। आवेदक अभियुक्तों पर आरोपित धाराओं में उल्लिखित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा इस वाद में गांजा व्यवसायिक मात्रा में जब्त किया गया है जिसका वजन 411.650 किलोग्राम है। यह एक सामाजिक अपराध है, जिससे समाज पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि पुलिस द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों/निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। परन्तु इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों तथा इस वाद विशेष में तथा स्थान विशेष की सामाजिक परिस्थिति में विधि व्यवस्था, न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था में जनता का अटूट विश्वास बना रहे इसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय व्यवस्था तथा न्यायालय में जनमानस के विश्वास के बीच सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने एवं बनाये रखने के उत्तरदायित्व एवं उपरोक्त विवेचन के आलोक में आवेदकगण को वाद के इस प्रक्रम पर इस समय जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण (1) सोनू कुमार एवं (2) मो0 हुसैन का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है तथा आरक्षी पुलिस अधीक्षक जमुई एवं जिलाधिकारी जमुई को निर्देश दिया जाता है कि मिहिर राजेश साह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य के विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधिकारियों एवं बिना वारेण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति जिन व्यक्तियों या एजेन्सियों में निहित है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय तथा सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जाय। आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी जमुई तथा आरक्षी अधीक्षक जमुई को तत्काल प्रेषित किया जाए।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,  
जमुई